मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004

:::आदेश:::

भोपाल दिनांक–24/02/20

क्रमांकएफ–6–5/2021/पैंतीस::विभागीय योजनाओं मे लापरवाही,पदीय कर्त्तव्यों का भलीभांति निर्वहन न करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण विभागीय पत्र दि0 19.02.2021 द्वारा उप संचालक जिला शाजापुर, डिण्डोरी, टीकमगढ़, सिंगरौली, सतना तथा दतिया को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया था। कारण बताओ सूचना पत्र के मुख्य बिंदु निम्नानुसार थे :–

(i) आपके द्वारा अपने जिले में संचालित विभागीय योजनाओं में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण कार्य की प्रगति बहुत ही कम है। भारत सरकार की एन.ए.डी.पी.सी.योजना अंतर्गत एफ.एम.डी.टीकाकरण एवं उक्त की ऑन लाईन एंट्री का कार्य समय–सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। एन.ए.डी.पी.सी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी समय सीमा 05.10.2020 निर्धारित थी, किंतु सभी जिलों के आग्रह पर समय सीमा में वृद्धि करते हुए 26.10.2020 निर्धारित की गई है।

(ii) विभागीय वीडियो कांफ्रेस, दूरभाष एवं पत्राचार द्वारा निरंतर लक्ष्यपूर्ति हेतु आपको निर्देशित किया जाता रहा है, किंतु आप अपने पद रहते हुए पदीय कर्त्तव्यों का भली–भांति निर्वहन न कर कर्त्तव्यविमुख आचरण अपनाते रहे, जिसके परिणामस्वरूप जिले में एफ.एम.डी.टीकाकरण की प्रगति दिनांक 19.01.2021 की स्थिति में 75 प्रतिशत से भी कम है, जो कि प्रदेश के प्रदर्शन से औसत से कम है।

(iii) आपके द्वारा उक्त कृत्य कर पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही,शिथिलता एवं स्वछंदता प्रदर्शित कर वरिष्ठ अधिकारियों क्षरा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण विभागीय लक्ष्य प्राप्त करने में आपके अधीनस्थ कार्यरत जिला प्रदेश के औसत प्रदर्शन से भी पिछड. रहा है।

(iv) आपके द्वारा कारित उक्त कदाचरण सिविल (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

(v) अतः पैरा 2 में उल्लेखित कदाचरण हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (1–4) में प्रावधानित दंड से क्यों न आपको दंडित किया जावे?

(vi) आप अपना उत्तर पत्र प्राप्ति के सात दिवस की समयावधि में संबंधित अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जावेगा कि आपको उपरोक्त कृत्य के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः नियमानुसार एकपक्षीय निर्णय लेते हुए पैरा–4 में उल्लेखित लघुशास्ति से दंडित कर प्रकरण समाप्त किया जावेगा।

2/ डॉ0गोवर्धन दास, उप संचालक दतिया को इसी प्रकरण में निलंबित किए जाने के कारण सूचना पत्र जारी नहीं किया ।

3/ उप संचालकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर संचालक पशुपालन ने जिला शाजापुर, डिण्डौरी, सिंगरौली तथा सतना जिले के उप संचालकों का उत्तर मान्य योग्य बताते हुए प्रकरण नस्तीबद्व किये जाने तथा डॉ0 बी.के.पटेल उप संचालक, टीकमगढ़ का उत्तर मान्य

..2...

योग्य नहीं प्रस्तावित किया गया ।

4/ संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार डॉ0 बी.के.पटेल उप संचालक, टीकमगढ़ को लघुशास्ती से दंडित करते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तथा शेष उप संचालकों शाजापुर, डिण्डौरी, सिंगरौली तथा सतना का उत्तर मान्य करते हुए प्रकरण नस्तीबद्व करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

5/ प्रशासकीय निर्णय पर म.प्र.लोक सेवा आयोग ने उनके पत्र दि0 27 जनवरी, 2022 द्वारा सहमति संसूचित करते हुए लेख किया कि:-

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचारोपरांत यह पाया गया कि श्री बी.के.पटेल उप संचालक टीकमगढ़ का कार्य संतोषप्रद न होने के कारण उनके विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(4) के अंतर्गत उनकी एक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किए जाने का अनंतिम प्रशासकीय निर्णय लिया है, वह आयोग के मत में उचित है।

6/ अतः पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 राजेश कुमार मिश्रा, उप संचालक, सतना, डॉ0 एस.एस.चौधरी उप संचालक डिण्डौरी, डॉ0 ए.के.बरेठिया, उप संचालक शाजापुर एवं डॉ0 डी.पी.तिवारी, उप संचालक सिंगरौली के कार्य की प्रगति को संतोंषजनक मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्व करने तथा श्री बी.के.पटेल उप संचालक टीकमगढ़ का कार्य संतोषप्रद न होने के कारण उनके विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(4) के अंतर्गत उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
24/02/2022
(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग

डॉ. पाठक
MZS

पृ0कमांक कमांकएफ-6-5/2021/पैंतीस
भोपाल, दिनांक 24/02/2022

25 FEB 2022

प्रतिलिपिः-

(i) निज सहायक, मान. मंत्री जी, पशुपालन एवं डेयरी,
(ii) निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
(iii) संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश
(iv) संयुक्त संचालक-पशु चिकित्सा सेवाएं रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग,
(v) डॉ0 राजेश कुमार मिश्रा, उप संचालक, सतना,
(vi) डॉ0 एस.एस.चौधरी उप संचालक डिण्डौरी,
(vii) डॉ0 ए.के.बरेठिया, उप संचालक शाजापुर )
(viii) डॉ0 डी.पी.तिवारी, उप संचालक सिंगरौली

द्वारा संचालक, पशुपालन

(ix) बेवसाइट प्रभारी की ओर बेवसाइट पर अपलोड करने बावत।
(x) स्टाफ फाइल.

24/02/2022
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग